राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर

क्रमांकः–प1(1)कार्मिक/हैल्पर/एसीपी/2013/1355 दिनांकः– 1/8/13

–:: कार्यालय–आदेश ::–

राजस्थान आवासन मण्डल की 219वी बैठक दिनांक 08.07.2013 के विचार बिन्दु संख्या 219.57 पर लिये गये निर्णयानुसार राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी (भर्ती एवं पदोन्नति) विनियम–2010 के प्रावधान मण्डल में दिनांक 07.01.2011 से लागू किये गये हैं। अतः राजस्थान सरकार के कार्मिक(क–2) विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/95 पार्ट, दिनांक 20.06.2001 एवं 13.08.2004 में वर्णित दो से अधिक संतान होने पर पदोन्नति/चयनित वेतनमान संबंधी प्रावधान मण्डल में दिनांक 07.01.2011 से प्रभावी होंगे। उक्तानुसार मण्डल में कार्यरत कार्मिक के दिनांक 07.01.2011 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने की दशा में जिस तिथि को पदोन्नति/चयनित वेतनमान देय होगा, उस तिथि से मण्डल कार्मिक की पदोन्नति पर 5 वर्ष तक विचार नहीं किया जावेगा। राज्य सरकार के संदर्भित आदेशों में वर्णित अन्य शर्ते उक्त क़ट–ऑफ–डेट 07.01.2011 मानते हुये मडंल में यथावत लागू होंगी।

मण्डल में सीधी भर्ती के प्रकरणों में दो से अधिक संतान संबंधी प्रावधान दिनांक 01.06.2002 से ही लागू होंगे।

उक्त आदेशों की सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त है।

आज्ञा से,

(टीकम चन्द बोहरा)
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता, राज0आवा0मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–सचिव/वि.स.एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा0 आ0 मं0, जयपुर।
3. निदेशक विधि/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता..................... राजस्थान आवासन मण्डल,..............।
5. उप आवासन आयुक्त, वृत–....................../आवासीय अभियन्ता, खण्ड–.....................
6. एनॉलिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, मुख्यालय, को राजस्थान आवासन मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी/रक्षित पत्रावली

Sd.
सचिव

revised child orderl